:: न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.) ::

पीठासीन अधिकारी : **श्री सुनील कुमार पंचोली, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

सेशन प्रकरण संख्या : 35/2022 (CIS N. 35/2022)

CNR N. : RJDG010003852022

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक । **––अभियोगी––**

बनाम

शांतिलाल पिता कानजी उम्र 45 वर्ष निवासी देवल खास मनात फला पुलिस थाना सदर डूँगरपुर जिला डूँगरपुर (राज.)। **––अभियुक्त––**

अपराध अन्तर्गत धारा 450, 376 भारतीय दंड संहिता।

उपस्थित :–

1. श्री पुष्कर चौबीसा, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।
2. श्री सईद जमान पठान– अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक : 11.03.2026**

1. अभियुक्त शांतिलाल के विरूद्ध यह अंवीक्षा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 450, 376 के तहत पुलिस थाना सदर जिला डूँगरपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–95/2021 में प्रस्तुत आरोप पत्र के तहत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.04.2021 को परिवादिया/पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय डूँगरपुर में उपस्थित होकर एक टाइपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मुल्जिम शांतिलाल उसके गांव का होकर पड़ोस में निवास करता है, अभी होली के समय दिनांक 28.03.2021 को रात करीब 11:00 बजे वह अपने घर पर पेशाब करने के लिये बाहर गयी तो मुल्जिम शांतिलाल अंधेरे में छुप कर वहां बैठा हुआ था। उसके बाहर निकलते ही मुल्जिम ने उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में जकड़कर नीचे गिरा दिया। उसके द्वारा सहायता के लिये चिल्लाने पर उसने आसपास छिपे हुये मुल्जिमान को आवाज देकर बुलाया। आवाज सुनकर उसके पति भी घर से बाहर आ गये। उसको देखकर मुल्जिम शांतिलाल और धनपाल दोनों भागकर शांतिलाल के घर में घुस गये। अंधेरे में उसकी कमर पर एक पत्थर भी आकर लगा था। शांतिलाल के घर पर जीवा पिता रूपसी, कावा पिता जीवा, श्रीमती हांजु पत्नी जीवा, श्रीमती मंजुला पत्नी धनपाल एवं श्रीमती मंजुला पत्नी शांतिलाल पहले से मौजूद थे। मुल्जिम शांतिलाल ने पूर्व में दिनांक 20.12.2019 को जब उनके गांव की श्रीमती मंगली देवी का बारहवें का कार्यक्रम था, दिन के लगभग 1:00 बजे वह अपने घर में बकरियां बांध रही थी कि मुल्जिम बकरियां बांधने वाले कमरे में घुस आया और उसे डरा–धमका कर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और धमकी देकर वापस चला गया कि किसी को इस घटना के बारे में कहा तो ठीक नही होगा। इस घटना को लेकर गांव समाज के पंच भी इकट्ठे हुये थे, किंतु पंचो के समझाने पर उस समय मुल्जिम के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की थी जिससे मुल्जिम के हौसले बुलन्द थे और उसने उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठा कर मुल्जिम ने उसके साथ दूसरी बार बलात्कार करने की कोशिश की। मुल्जिम कभी भी उसके साथ कोई संगीन वारदात कर सकता है। साथ ही मुल्जिमान शांतिलाल, धनपाल, जीवा, श्रीमती हांजु, श्रीमती मंजुला पत्नी धनपाल एवं श्रीमती मंजुला पत्नी

शांतिलाल का भी मुल्जिम शांतिलाल को पूरा सहयोग है। अतः निवेदन है कि मुल्जिम के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करना फरमावें.............इत्यादि," उक्त रिपोर्ट जरिये डाक दिनांक 02.05.2021 को पुलिस थाना सदर डूँगरपुर को प्राप्त होने पर एफ. आई. आर. संख्या–95/2021 अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान के पश्चात दिनांक 05.04.2022 को अभियुक्त शांतिलाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376, 452 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर में प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को दिनांक 21.04.2022 को प्राप्त हुआ।

3. बहस आरोप सुनी जाकर दिनांक 06.03.2024 को अभियुक्त शांतिलाल को धारा 450, 376 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही ।

4. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू–1 शांतिलाल, पी.डब्ल्यू–2 पीड़िता, पी.डब्ल्यू–3 दिनेश, पी.डब्ल्यू–4 लक्ष्मण, पी.डब्ल्यू–5 श्रीमती ज्योति, पी.डब्ल्यू–6 वेला, पी.डब्ल्यू–7 पन्नालाल, पी.डब्ल्यू–8 बसु, पी.डब्ल्यू–9 तिलकराजसिंह, पी.डब्ल्यू–10 डॉ. हर्षिता, पी.डब्ल्यू–11 राजेन्द्र कुमार व पी.डब्ल्यू–12 सुरेश परीक्षित करवाये गये।

5. प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 फर्द नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी–2 कपड़े पेश करने बाबत तहरीर, प्रदर्श पी–3 पीड़िता की मेड़िकल रिपोर्ट, प्रदर्श पी–4 टाइपशुदा रिपोर्ट, प्रदर्श पी–5 धारा 164 द.प्र.सं. के बयान, प्रदर्श पी–6 पुलिस बयान गवाह वेला, प्रदर्श पी–7 फर्द तस्दीक घटनास्थल, प्रदर्श पी–8 फर्द जब्ती अण्डरवियर अभियुक्त, प्रदर्श पी–9 फर्द बरामदगी स्थल अण्डरवियर, प्रदर्श पी–10 पीड़िता का मेड़िकल बाबत तहरीर, प्रदर्श पी–11 पीड़िता का पहचान फार्म, प्रदर्श पी–12 एफटीए कार्ड का अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी–13 एफ.एस.एल. जांच का अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी–14 पुलिस थाने का अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी–15 धारा 164 सीआर.पी.सी. के कथन लेखबद्ध कराने बाबत प्रार्थना पत्र, प्रदर्श पी–16 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त शांतिलाल, प्रदर्श पी–16 फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, प्रदर्श पी–17 अभियुक्त के मेड़िकल बाबत तहरीर, प्रदर्श पी–18 पुरूषत्व परीक्षण रिपोर्ट, प्रदर्श पी–19 अभियुक्त का पहचान फार्म, प्रदर्श पी–20 पुलिस थाने का अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी–21 एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी–22 एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद व प्रदर्श पी–23 चॉक एफ.आई.आर. इत्यादि दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

6. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन गवाहान की साक्ष्य को गलत होना तथा स्वयं का निर्दोष होना व उसे झूंठा फंसाया जाना बताया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

7. बहस सुनी गई। विद्वान लोक अभियोजक की ओर से दौराने बहस यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण व प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाये गये आरोप सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दौराने बहस यह तर्क दिया गया कि पीड़िता द्वारा जिरह में अभियुक्त शांतिलाल का नाम शंका के आधार पर लिखवाया जाना तथा वर्ष 2019 में हुये कथित बलात्कार की घटना की कोई रिपोर्ट पेश न किया जाना तथा उसके व उसके पति तथा परिवारजन के खिलाफ अभियुक्त द्वारा पूर्व में थाने में रिपोर्ट दिये जाने के कारण उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया गया। इसी प्रकार पीड़िता के पति पी.डब्ल्यू–1 शांतिलाल द्वारा भी अभियुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज करवाये जाने के कारण ही उनके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत मामला दर्ज करवाया जाना बताया गया जिससे स्पष्ट है कि पीड़िता के

Authenticated Document

साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार जैसी कोई घटना कारित नही की गयी। मात्र अभियुक्त द्वारा पीड़िता व उसके पति तथा परिवारजन के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट दिये जाने से बचने के लिये हस्तगत प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध झूंठा दर्ज करवा दिया गया। पीड़िता व उसके पति की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। पीड़िता की साक्ष्य विश्वसनीय नही है। पीड़िता द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में तथा धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–5 व न्यायालय कथनों में भिन्न–भिन्न कथन किये हैं जिन पर विश्वास नही किया जा सकता है। पीड़िता द्वारा घटना की रिपोर्ट घटना के एक वर्ष चार माह बाद पेश की गयी है तथा विलम्ब से रिपोर्ट दिये जाने का कोई कारण भी नही बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा उसके पति से मिलकर अभियुक्त के विरूद्ध झूंठा मामला दर्ज करवाया गया। पीड़िता द्वारा जिरह में यह भी बताया गया कि उसने धारा 164 द.प्र.सं. के बयान उसके पति के कहेनुसार दिये थे जिससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पीड़िता व उसके पति ने मिलकर अभियुक्त को इस मामले में झूंठा फंसाया है। उनका यह भी तर्क रहा कि स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–11 राजेन्द्र कुमार द्वारा भी जिरह में यह स्वीकार किया गया कि पीड़िता व उसके पति तथा अभियुक्त शांतिलाल के मध्य इस घटना से पूर्व का विवाद था तथा पीड़िता ने अपने बयान प्रदर्श पी–5 में अभियुक्त व पीड़िता के परिवार के बीच पूर्व की रंजिश होने की बात भी बतायी है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में नितांत असफल रहा है। अतः अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जावे।

9. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का परिशीलन किया। इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

(i) **क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 20.12.2019 को करीब 1:00 पी.एम. पर मौजा देवल खास में पीड़िता के घर पर उसके साथ जबरन बलात्संग करने के आशय से प्रवेश कर पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध तथा बिना सहमति के शारीरिक संभोग कर बलात्कार किया ?**

(ii) **यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है ?**

10. उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू–2 पीड़िता है जिसकी साक्ष्य प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य परीक्षा में यह कथन रहा कि दिनांक 20.12.2019 को दोपहर 12:00 बजे वह अपने घर पर कचरा निकाल रही थी कि हाजिर अदालत अभियुक्त शांतिलाल उसके घर के अन्दर आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया तथा उसके साथ गलत काम किया और कहा कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। उसके बाद दिनांक 28.03.2021 को रात्रि 11:00 बजे वह घर से बाहर पेशाब करने निकली तो उसे पीठ पर पत्थर लगा जो अभियुक्त शांतिलाल ने मारा था। उसके पति अहमदाबाद थे इसलिये उसने घटना की जानकारी परिवार वालों को नही दी थी। अहमदाबाद से आने पर उसने उसके पति को घटना की जानकारी दी। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 दी जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी–1 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे वक्त घटना पहने कपड़े पेश करने का नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी–2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है व जवाब अंकित है। उसकी दुष्कर्म संबंधी मेड़िकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है। उसके खून व थूक के नमूने लिये थे। मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष हुये उसके बयान प्रदर्श पी–5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

11. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में इसका यह कथन रहा कि वह आठवी कक्षा तक पढ़ी है। रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में उसने धनपाल, जीवा, श्रीमती हाजू, श्रीमती मंजू पत्नी धनपाल व श्रीमती मंजूला पत्नी शांतिलाल का नाम भी अभियुक्त को सहयोग करने के संबंध में लिखवाया था। इसकी यह भी स्वीकारोक्ति रही कि उसे पत्थर किसने मारा, पत्थर मारने वालों को उसने नही देखा। यह भी स्वीकार किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में उसने अभियुक्त शांतिलाल का नाम शंका के

Authenticated Document

आधार पर लिखवाया था। इसकी यह भी स्वीकारोक्ति रही कि उसके पति से वह रोज फोन पर बात करती थी। उसने फोन पर उसके पति को घटना के बारे में नही बताया था। उसने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष बयान प्रदर्श पी–5 उसके पति के कहे अनुसार दिये थे। इस तथ्य को भी सही होना स्वीकार किया कि अभियुक्त शांतिलाल ने उसके, उसके पति व परिवार वालों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी थी इसलिये उन्होंने उसके खिलाफ यह मुकदमा कर दिया। पुलिस में उसके कोई बयान नही हुए थे।

12. इस प्रकार पीड़िता द्वारा मुख्य परीक्षा में तो अभियुक्त द्वारा उसके घर के अन्दर आकर उसके साथ गलत काम करना तथा दिनांक 28.03.2021 को रात्रि 11:00 बजे अभियुक्त द्वारा उसकी पीठ पर पत्थर मारना बताया, परंतु जिरह में इसने रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में अभियुक्त शांतिलाल का नाम उसके द्वारा शंका के आधार पर लिखवाया जाना तथा घटना के बारे में उसके पति को नही बताया जाना व धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–5 उसके पति के कहेनुसार दिये जाना बताया गया। पीड़िता द्वारा जिरह में यह भी बताया गया कि अभियुक्त शांतिलाल ने उसके तथा उसके पति व परिवार वालों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी थी, इसलिये उन्होंने उसके खिलाफ यह मुकदमा कर दिया। पीड़िता द्वारा जिरह में किये गये उक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में अभियुक्त का नाम मात्र शंका के आधार पर लिखवाया गया तथा घटना के बारे में उसके पति को भी उसके द्वारा नही बताया गया। अतः यदि पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार जैसी गंभीर घटना की गयी होती तो निश्चित रूप से पीड़िता द्वारा घटना के संबंध में अपने पति को अवश्य बताया जाता।

13. इसके अलावा पीड़िता की जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति रही कि अभियुक्त शांतिलाल द्वारा उसके व उसके पति तथा परिवार वालों के खिलाफ पूर्व में थाने में रिपोर्ट दी गयी जिसके कारण उसने व उसके परिजनों द्वारा अभियुक्त के खिलाफ यह मुकदमा करवा दिया। उक्तानुसार अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने संबंधी पीड़िता द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन विश्वसनीय होना प्रकट नही होते हैं।

14. पीड़िता द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में यह बताया गया कि दिनांक 28.03.2021 को रात करीब 11:00 बजे वह अपने घर से पेशाब करने के लिये बाहर गयी तो मुल्जिम शांतिलाल अंधेरे में छुपकर वहां बैठा हुआ था। उसके बाहर निकलते ही मुल्जिम ने उसे पकड़ लिया तथा अपनी बाहों में जकड़ कर उसे नीचे गिरा दिया, परंतु पीड़िता द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा उसके पकड़ने तथा बाहों में जकड़कर नीचे गिरा देने संबंधी कोई कथन नही किये है। पीड़िता द्वारा मुख्य परीक्षा में यह बताया गया कि दिनांक 28.03.2021 को रात्रि 11:00 बजे वह घर से पेशाब करने निकली तो उसके पीठ पर पत्थर मारा जो अभियुक्त शांतिलाल ने मारा था। इस प्रकार पीड़िता द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में अंकित तथ्यों तथा मुख्य परीक्षा में कथित कथनों में गंभीर विरोधाभास होना भी प्रकट होता है। पीड़िता ने धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–5 में भी यह बताया कि मुल्जिम शांतिलाल ने उसके घर वालों पर केस किया इसलिये उन्होंने भी वापस मुल्जिम के खिलाफ केस किया है तथा दिनांक 28.03.2021 को उसके साथ बलात्कार व छेड़छाड़ की कोई घटना नही हुई है। केवल पत्थर मारने की घटना हुई थी। पीड़िता द्वारा उक्त बयान में किये गये कथनों से पीड़िता द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन अविश्वसनीय होना प्रतीत होते है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू–1 शांतिलाल जो पीड़िता का पति है, इसका मुख्य परीक्षा में यह कथन रहा कि दिनांक 28.03.2021 वह अपने घर पर था। उसकी पत्नी रात्रि करीब 11:00 बजे घर के बाहर पेशाब करने के लिये गयी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वह घर से बाहर निकला और देखा कि उसकी पत्नी के कमर पर पत्थर लगा है जिस पर वह उसे उठाकर घर के अन्दर ले गया। फिर उसने उसकी पत्नी को पूछा तो उसने बताया कि उसे किसने पत्थर मारा, नही पता। बाद में बताया कि हाजिर अदालत अभियुक्त शांतिलाल ने पत्थर मारा है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में वह

अहमदाबाद गया था और वापस घर पर आया तब उसकी पत्नी ने बताया कि अभियुक्त शांतिलाल ने उसके साथ गलत काम किया है। उसकी पत्नी से यह बात सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। फिर उसने यह बात उसके पिता को बताई। उसके पिता ने गांव के लोगों को एवं अभियुक्त के परिवार वालों को इकट्ठा किया। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 मुर्तिब किया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी पत्नी को वक्त घटना पहने कपड़े पेश करने हेतु पुलिस ने नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी–2 है। उसकी पत्नी की मेड़िकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में इसने इस तथ्य को सही होना स्वीकार किया कि उसने शांतिलाल का नाम रिपोर्ट में शंका के आधार पर लिखवाया था। यह भी स्वीकार किया कि वर्ष 2019 में उसकी पत्नी के साथ जिस घटना का होना उसने बताया उसके संबंध में उसने कही कोई रिपोर्ट पेश नही की। नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी–1 तथा नोटिस प्रदर्श पी–2 पर उसके हस्ताक्षर थाने पर कराये थे। उसने व उसकी पत्नी ने पुलिस को कोई कपड़े पेश नही किये थे। प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–2 पर पुलिस वालों ने क्या लिखापढ़ी की उसकी जानकारी में नही है। यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त शांतिलाल ने उसके व उसकी पत्नी, उसके पिता तथा उसके पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा किया था। अभियुक्त शांतिलाल ने पहले उनके खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दी थी इस कारण उन्होंने उसके विरूद्ध यह मुकदमा किया।

16. इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा अभियुक्त शांतिलाल का नाम रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में शंका के आधार पर लिखवाया जाना तथा वर्ष 2019 में उसकी पत्नी के साथ हुयी घटना के संबंध में उसके द्वारा कोई रिपोर्ट पेश न किया जाना व अभियुक्त द्वारा उसकी पत्नी के साथ गलत काम करने संबंधी बात उसकी पत्नी द्वारा उसे बतायी जाना बताया जबकि पीड़िता पी.डब्ल्यू–2 द्वारा जिरह में यह बताया गया कि उसने उसके पति को घटना के बारे में नही बताया था। उक्तानुसार पीड़िता व उसके पति की साक्ष्य में तदनुसार गंभीर व तात्विक विरोधाभास होना प्रकट होता है। उक्त गवाह का स्पष्ट रूप से यह भी कथन रहा कि अभियुक्त शांतिलाल ने उसके व उसकी पत्नी तथा उसके पिता और उसके पूरे परिवार के खिलाफ पहले मुकदमा किया इस कारण उन्होंने उसके विरूद्ध यह मुकदमा किया। गवाह द्वारा किये गये उक्त कथनों से यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह व उसकी पत्नी तथा अन्य परिजनों के खिलाफ पूर्व में मुकदमा किये जाने के कारण ही उनके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण दर्ज करवाया गया तथा यदि अभियुक्त शांतिलाल द्वारा पीड़िता व उसके परिजनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज नही करवाया जाता तो निश्चित रूप से हस्तगत प्रकरण का प्रादुर्भाव ही नही होता। फलस्वरूप इस गवाह की साक्ष्य से भी यह तथ्य प्रमाणित नही होता है कि पीड़िता के साथ बलात्कार जैसी कोई घटना अभियुक्त द्वारा की गयी हो।

17. गवाह पी.डब्ल्यू–4 लक्ष्मण पीड़िता का ससुर है जिसका मुख्य परीक्षा में यह कथन रहा कि करीब पांच वर्ष पहले की बात है। पीड़िता का पति शांतिलाल उसका पुत्र है जो मजदूरी हेतु गया था। उसके घर आने पर पीड़िता ने उसे घटना की जानकारी दी तथा बताया कि अभियुक्त शांतिलाल ने उसके साथ बलात्कार किया है। फिर उसके पुत्र ने उसे उक्त बात बतायी। उसने पंचो को इकट्ठा किया, शांतिलाल नही आया। उसके बाद वह गांव में होली दहन पर गया था। फिर अभियुक्त शांतिलाल ने उसकी पुत्रवधू को पत्थर मारा था। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में इसका यह कथन रहा कि वह व उसका पुत्र शांतिलाल एक ही घर में रहते हैं। उसका पुत्र बाहर मजदूरी हेतु जाता है तब उसकी पत्नी पीड़िता उनके पास ही रहती है। यह सही होना स्वीकार किया कि पीड़िता ने उसे वर्ष 2019 की घटना के बारे में कभी नही बताया। उसने व उसकी बहु ने होली वाले दिन पत्थर मारने वाले व्यक्ति को नही देखा था, परन्तु उनका शांतिलाल से विवाद होने से उसका नाम लिखवाया था। इसकी यह भी स्वीकारोक्ति रही कि अभियुक्त शांतिलाल ने उनके विरूद्ध थाने में परिवाद दिया था इसलिये उन्होंने यह मुकदमा किया।

Authenticated Document

18. इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में तो अभियुक्त शांतिलाल द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया जाना बताया गया, परंतु जिरह में इसने पीड़िता द्वारा वर्ष 2019 की घटना अर्थात बलात्कार की घटना के बारे में उसे कभी नही बताया जाना बताया गया तथा शांतिलाल से विवाद होने से पत्थर मारने वाली घटना के संबंध में अभियुक्त शांतिलाल का नाम लिखवाया जाना व शांतिलाल द्वारा उनके विरूद्ध थाने में परिवाद दिये जाने से इनके द्वारा भी उसके विरूद्ध हस्तगत प्रकरण दर्ज कराया जाना बताया गया। गवाह द्वारा जिरह में किये गये उक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता व उक्त गवाह जो कि पीड़िता का ससुर है दोनों एक साथ एक ही घर में रहते है तथा यदि अभियुक्त उनके घर में प्रविष्ठ होता और बलात्कार जैसी घटना पीड़िता के साथ कारित करता तो पीड़िता द्वारा उक्त घटना के संबंध में अपने ससुर उक्त गवाह को इस संबंध में अवश्य बताया जाता। गवाह द्वारा जिरह में किये गये कथनों से यह भी जाहिर होता है कि अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह तथा उसके परिजनों के विरूद्ध थाने में परिवाद दिये जाने से उक्त गवाह तथा उसके पुत्र शांतिलाल व पीड़िता ने मिलकर अभियुक्त शांतिलाल के विरूद्ध यह प्रकरण दर्ज करवाया गया।

19. गवाह पी.डब्ल्यू–3 दिनेश का जिरह में यह कथन रहा कि पीड़िता का पति महिने में एक–दो बार घर पर आता–जाता होगा। यह सही होना स्वीकार किया कि पीड़िता के साथ कोई घटना घटित हुयी या नही वह नही बता सकता है।

20. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–7 पन्नालाल द्वारा भी जिरह में यह बताया गया कि पीड़िता ने पंचों के समक्ष जो बात बतायी वो सही या गलत बतायी वह नही बता सकता है। पीड़िता का पति मजदूरी हेतु बाहर जाता है जो 10–15 दिन में घर पर आता–जाता रहता है। पीड़िता के साथ कोई घटना घटी थी या नही वह नही बता सकता है।

21. गवाह पी.डब्ल्यू–6 वेला पक्षद्रोही घोषित हुआ है इसका मुख्य परीक्षा में यह कथन रहा कि उसने हाजिर अदालत अभियुक्त के संबंध में किसी घटना के बारे में सुना था, लेकिन क्या घटना हुई थी उसे नही पता। इसने इसके पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 का ए से बी भाग गलत लिखा होना तथा उसके द्वारा पुलिस को नही लिखवाया जाना बताया। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में इसने इस तथ्य को सही होना बताया कि अभियुक्त शांतिलाल और पीड़िता के बीच जमीन के रास्ते को लेकर विवाद है। उसके सामने कोई घटना नही हुई। उसने शांतिलाल द्वारा पीड़िता के साथ गलत काम करने वाली बात कभी नही सुनी।

22. गवाह पी.डब्ल्यू–8 बसु नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–1 का साक्षी है जिसने उक्त फर्द पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में इस तथ्य को सही होना बताया कि शांतिलाल को अभियुक्त शांतिलाल पर शक था इसलिये यह झूंठा मुकदमा किया था। पीड़िता के साथ क्या हुआ उसकी जानकारी में नही है। वह पीड़िता के कहेनुसार उसके साथ गलत काम होना बता रहा है।

23. गवाह पी.डब्ल्यू–9 तिलकराजसिंह तत्कालीन कानि. पुलिस थाना सदर द्वारा मुख्य परीक्षा में दिनांक 31.05.2021 को उसके व कानि. प्रकाश के समक्ष घटनास्थल तस्दीक कर फर्द प्रदर्श पी–7 मुर्तिब की जाना तथा उसी रोज अभियुक्त द्वारा वक्त घटना पहनी अण्डरवियर पेश की जाना तथा जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–8 व नक्शा मौका प्रदर्श पी–9 पर उसके हस्ताक्षर होना बताया।

24. गवाह पी.डब्ल्यू–10 डॉ. हर्षिता का मुख्य परीक्षा में यह कथन रहा कि दिनांक 10.05.2021 को उसने पुलिस थाना सदर की तहरीर पर पीड़िता का दुष्कर्म संबंधी मेड़िकल कर रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 तैयार की थी तथा पीड़िता के वेजाइनल स्वाब, स्मीयर उसके द्वारा लिये जाकर सीलचिट कर कानि. संगीता को सुपुर्द किये थे। पुलिस तहरीर प्रदर्श पी–10, रिपोर्ट प्रदर्श पी–3, डी.एन.ए. फार्म प्रदर्श पी–11, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–12 व अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–13 पर उसके

हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में इसने यह सही होना स्वीकार किया कि जबरन बलात्कार करने की स्थिति में महिला के आंतरिक व बाह्य भाग पर चोटें आना संभावित है, परंतु पीड़िता के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के कोई निशान नही थे।

25. गवाह पी.डब्ल्यू–11 राजेन्द्र कुमार प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने प्रकरण में उसके द्वारा किये गये आवश्यक अनुसंधान संबंधी साक्ष्य देते हुये नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–1, एम.ओ. को जारी तहरीर प्रदर्श पी–10, मेड़िकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–3, पीड़िता के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान लेखबद्ध कराने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–14, पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. प्रदर्श पी–5, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–15, अभियुक्त की धारा 27 की सूचना प्रदर्श पी–16 व फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–7, तहरीर प्रदर्श पी–17, पुरूषत्व परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–18, अभियुक्त का पहचान फार्म प्रदर्श पी–19, फर्द जब्ती अण्डरवियर प्रदर्श पी–8, नक्शा मौका प्रदर्श पी–9, एफ.एस.एल. हेतु थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–20, एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–21, एफ.एस.एल. जमा रसीद प्रदर्श पी–22, परिवाद प्रदर्श पी–4 व चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–23 होना तथा उक्त सभी पर उसके हस्ताक्षर होना बताया। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में इसका यह कथन रहा कि पीड़िता व अन्य गवाह शांतिलाल, लक्ष्मण, दिनेश, पन्नालाल तथा बाबुलाल एक ही परिवार के हैं। यह भी स्वीकार किया कि पीड़िता व उसके पति तथा अभियुक्त शांतिलाल के मध्य इस घटना से पूर्व का विवाद था। यह भी स्वीकार किया कि परिवाद प्रदर्श पी–4 में दिनांक 28.03.2021 को पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया गया हो इस संबंध में अंकन नही है। पीड़िता ने परिवाद में बलात्कार होने की घटना परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक 16.04.2021 से एक वर्ष चार माह पूर्व की दिनांक 20.12.2019 की होना बतायी थी। यह भी स्वीकार किया कि पीड़िता ने अपने धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–5 में अभियुक्त व पीड़िता के परिवार के बीच पूर्व की रंजिश होने की बात बतायी है।

26. गवाह पी.डब्ल्यू–12 सुरेश तत्कालीन कानि. पुलिस थाना सदर द्वारा दिनांक 08.06.2021 को प्रकरण में जब्तशुदा सीलचिट आर्टिकल मय कागजात विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जमा कराकर रसीद प्राप्त करना जिसे मालखाना प्रभारी को संभलवायी जाना तथा थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–20 व एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–21 तथा एफ.एस.एल. जमा रसीद प्रदर्श पी–22 होना बताया।

27. रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में पीड़िता द्वारा बलात्कार की घटना दिनांक 20.12.2019 को होना बताया गया, परन्तु उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 कथित घटना के करीब एक वर्ष चार माह उपरांत दिनांक 16.04.2021 को दी गई तथा विलंब का कोई स्पष्टीकरण भी नही दिया गया है। तदनुसार पीड़िता द्वारा घटना के संबंध में विलंब से रिपोर्ट दिए जाने से भी अभियोजन मामले पर संदेह उत्पन्न होता है।

28. प्रकरण में अभियुक्त व पीड़िता के शरीर से नमूने लिये जाना जिन्हें एफ.एस.एल. जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जमा करवाया जाना बताया गया, परंतु अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट मामले में पेश नही की गयी।

29. उपरोक्त संपूर्ण विवेचनानुसार पीड़िता द्वारा शंका के आधार पर अभियुक्त का नाम लिखवाया जाना, धारा 164 द.प्र.सं. के बयान उसके पति के कहे अनुसार दिये जाना तथा अभियुक्त द्वारा उसके व उसके पति तथा परिवार वालों के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट दिये जाने से उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत मामला दर्ज करवाया जाना बताया गया। पीड़िता की साक्ष्य विश्वसनीय होना भी नही पायी गयी है। पीड़िता के पति पी.डब्ल्यू–1 शांतिलाल द्वारा भी जिरह में शांतिलाल का नाम शंका के आधार पर लिखवाया जाना तथा अभियुक्त द्वारा उसके व

उसकी पत्नी तथा उसके पिता व परिवारजनों के खिलाफ मुकदमा किये जाने से उनके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध यह मामला दर्ज करवाया जाना बताया। पीड़िता द्वारा जिरह में घटना के संबंध में उसके पति को नही बताया जाना बताया गया, परंतु पीड़िता के पति शांतिलाल द्वारा घटना के संबंध में उसे उसकी पत्नी द्वारा बताया जाना बताया गया तदनुसार पीड़िता व उसके पति की साक्ष्य में गंभीर व तात्विक विरोधाभास होना भी पाया गया है। पीड़िता द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में अभियुक्त द्वारा उसे पकड़कर बाहों में जकड़ लेना बताया गया, परंतु धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–5 में अभियुक्त द्वारा उसे नही पकड़ना तथा बलात्कार व छेड़छाड़ जैसी कोई घटना उसके साथ घटित न होना बताया। रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में पीड़िता द्वारा बलात्कार की घटना दिनांक 20.12.2019 को होना बताया गया, परंतु रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 दिनांक 16.04.2021 को अर्थात कथित घटना के करीब एक वर्ष चार माह बाद प्रस्तुत की गयी तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी नही दिया गया। पीड़िता द्वारा घटना के संबंध में विलम्ब से रिपोर्ट दिये जाने से भी अभियोजन कहानी संदेहास्पद होना पायी गयी है। पीड़िता के ससुर पी.डब्ल्यू–4 लक्ष्मण द्वारा भी जिरह में यह स्वीकार किया गया कि अभियुक्त शांतिलाल ने उनके विरूद्ध थाने में परिवाद दिया था इसलिये उन्होंने यह मुकदमा किया। उक्तानुसार अभियुक्त द्वारा पीड़िता व उसके पति तथा परिजन के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट दिये जाने के कारण ही पीड़िता द्वारा यह मामला अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करवाया गया। फलस्वरूप अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 450 व 376 भा.दं.सं. के आरोपों से सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

30. अतः अभियुक्त **शांतिलाल पिता कानजी** उम्र 45 वर्ष निवासी देवल खास मनात फला पुलिस थाना सदर डूँगरपुर जिला डूँगरपुर (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 450 व 376 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

31. प्रकरण में लिए गए सैंपल एवं जब्त किये गये पार्चेजात बाद गुजरने मियाद अपील अथवा अपील न होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट कर दिए जावें।

32. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह अंतर्गत धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत छः माह की अवधि के लिए बीस हज़ार रुपये की राशी का स्वयं का मुचलका एवं इसी कदर धनराशी की जमानत इस न्यायालय के संतोषप्रद इस आशय की प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे कि "यदि इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील/रिविजन पेश की जाती है तो वह अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा।"

33. प्रकरण के तथ्यों व परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए धारा 357 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को प्रतिकर राशी प्रदान किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंषा नहीं की जा रही है।

––sd––

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

––sd––

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

OM PRAKASH FALEJA
P.A. CUM E.A.
"I attest to the accuracy and authenticity of this document"
Digitally signed by OM PRAKASH FALEJA
Location: DJ COURT DUNGARPUR
Date: 2026.03.11 13:21:04 +0530

Authenticated Document